न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल म.प्र.ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा म.प्र.

326
26.6.13

R - 2896 - II/13

रामकृपाल तनय निर्भय प्रसाद कुर्मी पेशा खेती व मजदूरी निवासी ग्राम रजौला तह.मझिगंवा उप तहसील चित्रकूट जिला सतना म.प्र.

.....................निगरानीकर्ता

बनाम्

शासन म.प्र.

.....................गैरनिगराकार

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा राजस्व अपील कं. 867/अपील/2012–13 पारित निर्णय व आदेश दिनांक 28.05.2013

निगरानीकर्ता अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी निम्न आधार पर प्रस्तुत की जा रही है –

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा, संभाग रीवा म.प्र. के अपील प्रकरण कं. 865/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 28.05.2013 विधि एवं न्यायिक प्रक्रियाओं के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तगी है।

2– यह कि निगरानीकर्ता के स्वत्व अधिपत्य की विवादित भूमि नं. 289/4 रकबा 1.475 हे. स्थित ग्राम रजौला हल्का कामता राजस्व निरीक्षक मंडल चित्रकूट जिला रीवा म.प्र. में स्थित है। जिसके पहले निगरानीकर्ता के पूर्वज काबिज दखील रहे तथा उसकी मृत्यु के बाद निगरानीकर्ता जरिये उत्तराधिकार काबिज दखील मालिक भूमिस्वामी चले आ रहे हैं।

3– यह कि बिना कोई नोटिस व सूचना दिये हुए न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी तहसील मझिगंवा जिला सतना म.प्र. द्वारा चोरी चोरी निगरानीकर्ता के विरूद्ध राजस्व प्रकरण कं. 78/अ–74/2011–12 दिनांक 28.08.2012 को एकतरफा बिना किसी सुनवाई का अवसर निगरानीकर्ता को दिये बगैर पारित कर भूमिस्वामी के कालम से निगरानीकर्ता का नाम काटने का आदेश पारित किया जिसकी जानकारी निगरानीकर्ता को 08.04.13 को पहली बार मझिगंवा तहसील में रीडर से प्राप्त हुई और उसी दिनांक को उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन दाखिल किया जिस आदेश की नकल दिनांक 02.05.2013 को प्राप्त हुई किन्तु निगरानीकर्ता गरीब व्यक्ति होने से खर्च की कमी होने से कारण किराया – भाड़ा की व्यवस्था न बन पाने से 02.05.2013 से 23.05.2013 तक रीवा में न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा के न्यायालय

(114)

राम कृपाल कुर्मी / शासन (म.प्र.)

R. 2896-दो/13 सतना

(37)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.8.18	1- आवेदक तथा उनके विद्वान अभिभाषक श्री रामानंद मिश्रा की पुकार समय-समय पर तीन बार कराई गई किन्तु सूचना उपरांत वह उपस्थित नहीं है। 2- अतः सूचना उपरांत उपस्थित नहीं होने की दशा में संहिता की धारा 35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 3- आदेश की प्रति के साथ अधी. न्याया. का रिकार्ड वापस किया जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। [signature] 23/8/18 सदस्य.	
[signature]		

शाक्षेमुग्वा—184—फॉर्म्स—29-8-16—15,000 प्रपत्र.